सप्तदश बिहार विधान सभा

चतुर्थ सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-02 मंगलवार, दिनांक- 30 नवम्बर, 2021 ई० ।

माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई ।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 12.55 बजे अपराह्न तक ।

सदन की कार्यवाही प्रारंभ होते ही विपक्ष के कतिपय माननीय सदस्यगण अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गए ।

आसन द्वारा माननीय सदस्यों को कहा गया कि आप सदन की गरिमा को बनाये रखें एवं अपने विषय को सही समय पर उठायें ।

तत्पश्चात् माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर बैठ गए ।

[1] **प्रश्नकाल** :-

(i) 04 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित ।
(ii) 04 अल्पसूचित प्रश्न अनागत ।
(iii) 18 तारांकित प्रश्न उत्तरित ।
(iv) 125 तारांकित प्रश्न अनागत ।

आसन द्वारा सदन को सूचित किया गया कि आज के लिए सूचीबद्ध सभी अल्पसूचित प्रश्न एवं तारांकित प्रश्नों के शत्-प्रतिशत उत्तर विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं तथा इसके लिए विभागीय मंत्रिगण एवं विभागीय अधिकारीगण धन्यवाद के पात्र हैं ।

[2] **कार्यस्थगन प्रस्ताव** :-

माननीय सदस्य श्री सत्यदेव राम, श्री महबूब आलम, श्री अजीत कुमार सिंह, श्री अरूण सिंह, श्री भूदेव चौधरी, श्री रामबली सिंह यादव, श्री अजय कुमार एवं श्री अजीत शर्मा द्वारा दिए गए कार्यस्थगन की सूचना नियमानुकूल नहीं होने के कारण आसन द्वारा अमान्य किए जाने की घोषणा की गई ।

तत्पश्चात् आसन की अनुमति से श्री सत्यदेव राम द्वारा अपने कार्य स्थगन की सूचना को पढ़ा गया ।

[3] शून्यकाल :-

(i)	श्री कुंदन कुमार	(ii)	श्री मो० कामरान
(iii)	श्री सूर्यकान्त पासवान	(iv)	श्री समीर कुमार महासेठ
(v)	श्री मिथिलेश कुमार	(vi)	श्री आलोक कुमार मेहता
(vii)	श्रीमती भागीरथी देवी	(viii)	श्री ललन कुमार
(ix)	श्री कुमार शैलेन्द्र	(x)	श्री हरि भूषण ठाकुर 'बचौल'
(xi)	श्री मनोज कुमार यादव	(xii)	श्री महानंद सिंह
(xiii)	श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता	(xiv)	श्री प्रणव कुमार
(xv)	श्री डॉ० सत्येन्द्र यादव	(xvi)	श्री अजय कुमार
(xvii)	श्री सुधाकर सिंह	(xviii)	श्री बिरेन्द्र कुमार
(xix)	श्री भरत बिन्द	(xx)	श्री पंकज कुमार मिश्रा
(xxi)	श्री मुरारी प्रसाद गौतम	(xxii)	श्री संदीप सौरव
(xxiii)	श्री रामबलि सिंह यादव	(xxiv)	श्री अरूण सिंह
(xxv)	श्री सत्यदेव राम	(xxvi)	श्री अजीत कुमार सिंह
(xxvii)	श्री राकेश कुमार रौशन	(xxviii)	श्री विनय कुमार
(xxix)	श्री मनोज मंजिल	(xxx)	श्री विद्या सागर केशरी
(xxxi)	श्री जय प्रकाश यादव	(xxxii)	श्री राम विशुन सिंह
(xxxiii)	श्री भूदेव चौधरी	(xxxiv)	श्री मुकेश कुमार यादव
(xxxv)	श्री इसराईल मंसूरी	(xxxvi)	श्री निरंजन राय
(xxxvii)	श्री अरूण शंकर प्रसाद	(xxxviii)	श्री मुरारी मोहन झा
(xxxix)	श्री गोपाल रविदास	(xl)	श्री अमरजीत कुशवाहा

आसन द्वारा माननीय सदस्य डॉ० सत्येन्द्र यादव, श्री बिरेन्द्र कुमार, श्री राम विशुन सिंह एवं श्री गोपाल रविदास को उनके संक्षिप्त शून्यकाल सूचना के लिए धन्यवाद दिया गया ।

आज के लिए सूचीबद्ध शेष 14 शून्यकाल की सूचनाओं को पढ़ा हुआ मान कर शून्यकाल समिति को आसन द्वारा सुपुर्द किया गया ।

[4] ध्यानाकर्षण सूचनाएँ :-

(i) माननीय सदस्य श्री सुदामा प्रसाद एवं अन्य सभासदों का सहकारिता विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य श्री सुदामा प्रसाद द्वारा पढ़ा गया तथा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में स्थानांतरित होने के कारण माननीय मंत्री श्रीमती लेशी सिंह द्वारा इसका उत्तर दिया गया ।

(ii) माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार सिन्हा एवं श्री राणा रणधीर का जल संसाधन विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार सिन्हा द्वारा पढ़ा गया तथा माननीय मंत्री श्री संजय कुमार झा द्वारा इसका उत्तर दिया गया ।

सरकार के उत्तर से असंतुष्ट होकर माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार सिन्हा एवं श्री राणा रणधीर द्वारा पूरक प्रश्न पूछे गए तथा माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार सिन्हा के अनुरोध पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने निम्न नियमन दिया ।

[5] **आसन का नियमन** :-

माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार सिन्हा एवं श्री राणा रणधीर के जल संसाधन विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना के उत्तर के पश्चात् आसन द्वारा माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग को निदेश दिया गया कि बड़हिया-मोकामा टाल क्षेत्र की समस्या को दूर करने के लिए एक ठोस कार्य योजना बनाने की शीघ्र व्यवस्था करें । साथ ही बिहार विधान सभा की प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को यह विषय सौंपते हुए यह निदेश दिया गया कि समिति इस कार्य का पर्यवेक्षण करेगी और अगले सत्र में इस संबंध में किए गए कार्य से अंतरिम प्रतिवेदन के माध्यम से सदन को सूचित करेगी ।

तत्पश्चात् सभा की बैठक भोजनावकाश तक के लिए स्थगित हुई ।

भोजनावकाश के बाद

(02.00 बजे अपराह्न से 03.20 बजे अपराह्न तक)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

माननीय नेता विरोधी दल द्वारा आसन को सूचना दी गयी कि विधान सभा परिसर में शराब की कई खाली बोतलें मिली हैं तथा इस विषय को गंभीरता से लेने को कहा गया ।

तदुपरान्त माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग द्वारा नेता प्रतिपक्ष को शराब बंदी कानून को सफल बनाने की सजगता हेतु धन्यवाद दिया गया ।

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय से कहा गया कि आप इजाजत करिए, इस पूरे मामले की जांच के लिए । इसमें जो कुछ भी होगा उसपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ।

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा कहा गया कि विपक्ष की जागरूकता सरकार को सतर्क करती है तथा विधान सभा की सुरक्षा और कड़ी करने का निदेश दिया गया एवं कहा गया कि आसन न गरीब को जानता है, न अमीर को जानता है । कानून के हिसाब से माननीय नेता सदन को हम कहेंगे कि कार्रवाई निशिचित तौर पर होनी चाहिए ।

[6] **विधायी कार्य** :-

राजकीय विधेयक :-

''**बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021**''

माननीय प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय सदस्य श्री अख्तरूल ईमान द्वारा सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया ।

माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया । प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ ।

माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया । प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ ।

माननीय सदस्य श्री रणविजय साहू द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया । प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरान्त खंडशः विचार के क्रम में माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ एवं श्री अजीत शर्मा द्वारा दिए गए सभी संशोधन सदन द्वारा अस्वीकृत हुए तथा सभी खंड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा पक्ष रखा गया ।

तदुपरांत माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इस विधेयक पर अपना पक्ष रखा गया ।

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि इस एक्ट का नाम पहले बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग था परन्तु वर्ष 2018 में एक संशोधन के तहत इसका नाम बिहार तकनीकी सेवा आयोग हो गया ।

तदुपरान्त बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021 सदन से स्वीकृत हुआ ।

''बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021''

माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय सदस्य श्री अख्तरूल ईमान द्वारा सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया ।

माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया । प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ ।

माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया । प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ ।

माननीय सदस्य श्री रणविजय साहू द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया । प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरान्त खंडशः विचार के क्रम में माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा, श्री समीर कुमार महासेठ, श्री अजय कुमार सिंह एवं श्री ललित कुमार यादव द्वारा दिए गए सभी संशोधन सदन द्वारा अस्वीकृत हुए तथा सभी खंड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा पक्ष रखा गया ।

तदुपरान्त बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 सदन से स्वीकृत हुआ ।

[5] आसन की घोषणा :-

यथासंलग्न ।

निवेदन :-

आसन से घोषणा की गयी कि आज के लिए स्वीकृत कुल 14 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिये जायेंगे ।

तदुपरान्त सभा की बैठक बुधवार, दिनांक-01 दिसम्बर, 2021 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई ।

पटना

दिनांक-30.11.2021

शैलेन्द्र सिंह
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।